UPGK010106392025

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

सेशन केस संख्या– 2310/2025

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नितिन गुप्ता व अन्य।

अपराध संख्या– 1009/2024,
धारा– 115 (2),110,333,117 (2) भारतीय न्याय संहिता,
थाना– पिपराईच, जनपद–गोरखपुर।

17.12.2025

सत्र परीक्षण की पत्रावली आज प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6 ख पर आदेश हेतु नियत है।

पूर्व की तिथि पर प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6 ख पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक के विद्वतापूर्ण तर्को को सुना जा चुका है।

प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6 ख के माध्यम से आवेदकगण/अभियुक्तगण लल्ली देवी व राजकिशोर गुप्ता के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अपराध संख्या– 1009/2024, धारा– 115 (2),110,333,117 (2) भारतीय न्याय संहिता, थाना– पिपराईच, जनपद–गोरखपुर के प्रकरण में उसे उन्मोचित किया जावे।

प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6 ख में आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा यह कथन किया गया है कि वे निर्दोष हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण तथा प्रथम सूचनाकर्ता सगे पटटीदार हैं तथा दोनों के बीच पहले से जमीनी विवाद चल रहा था, इसलिए मौके का फायदा उठाकर उन्हें अभियुक्त बना दिया गया है। प्राथमिकी में आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता या उसके परिवार के किसी सदस्य को उपहति कारित किये जाने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है, जो भी आरोप लगाया गया है, वह सामूहिक रूप से लगाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की कोई विनिर्दिष्ट भूमिका नहीं बतायी गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 115 (2),117 (2) भारतीय न्याय संहिता का कोई अपराध गठित नहीं होता है। आहतो व प्रथम सूचनाकर्ता के द्वारा जिस हथियार से उपहतियॉ पहुॅचाना कहा जाता है, उससे उपहतियॉ नहीं आयी हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 110 भारतीय न्याय संहिता का कोई अपराध गठित नहीं होता है। जिस समय की घटना कही जाती है, इसके पूर्व से आवेदक/अभियुक्त राजकिशोर को बाये हाथ में फ्रैक्चर था, जिसमें प्लास्टर लगा हुआ था और आवेदक/अभियुक्त किसी तरह का कोई विवाद करने की स्थिति में नहीं था।

उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6 ख में उल्लिखित तथ्यों का घोर विरोध किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान अभियुक्तगण की कथित अपराध में सक्रिय भागिता एवम् भूमिका पाते हुए उनके विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया है। विवेचक के समक्ष दिये गये कथन में साक्षीगण के द्वारा कथित अपराध में अभियुक्तगण की संलिप्तता के बिन्दु पर स्पष्ट कथन किया गया है। उनके द्वारा प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6 ख आधारहीन एवम् बलहीन होना बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दिनांक 20.12.2024 को समय करीब 08:00 बजे रात्रि में पिपरही, थाना– पिपराईच, जनपद– गोरखपुर में घटित घटना की प्राथमिकी, जिसमें प्रथम सूचनाकर्ता विनोद के द्वारा स्वयं को तथा लक्ष्मी, सरिता, इन्द्रकेश व पुष्पा देवी को आवेदकगण/अभियुक्तगण व सह–अभियुक्तो के द्वारा लोहे की राड, कुदाल, लाठी–डण्डे व फरसे से लैश होकर घर में घुसकर मार–पीटकर गम्भीर उपहति पहुॅचाने का कथन किया गया था।

दिनांक 21.12.2024 को समय 01:01 बजे थाना– पिपराईच में अपराध संख्या– 1009/2024, भारतीय न्याय संहिता की धारा– 115 (2),110,333,117 (2) के अपराध के अन्तर्गत आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत की गयी तथा विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा–115 (2),110,333,117 (2) के अपराध के अन्तर्गत आरोप–पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 180 के अन्तर्गत विवेचक द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता/आहत विनोद, लक्ष्मी, सरिता, इन्द्रकेश, पुष्पा देवी, संदीप गुप्ता, भगवान दास व रमेश यादव आदि का साक्ष्य लेखबद्ध किया गया है। प्रथम सूचनाकर्ता/आहत विनोद के द्वारा विवेचक के समक्ष इस आशय का कथन किया गया है कि कुत्ते के आने व जाने को लेकर रंजिशन गॉव के नितिन गुप्ता, राजकिशोर, अवधेश व लल्ली देवी ने लोहे की राड, कुदाल, लाठी-डण्डे, फरसे वगैरह से लैश होकर प्रथम सूचनाकर्ता के घर में घुसकर बुरी तरह मारे व पीटे है, जिससे इसको व इसके चाचा को सिर में गम्भीर चोटे आयी, जिससे दोनो लोग बेहोशी की हालत में हो गये और इसके चाचा को उल्टी होने लगी तथा उनका हाथ भी टूट गया। उपरोक्त आशय का ही कथन अन्य साक्षियों द्वारा भी विवेचक के समक्ष किये गये हैं।

चिकित्सकीय परीक्षण आख्या में आहत विनोद गुप्ता के शरीर पर कुल 04 उपहतियॉ आना उल्लिखित हैं, जिनमे से पहली उपहति फटा हुआ घाव, जिसका आकार 2 X 0.5 सेन्टीमीटर था, सिर के बीच में मौजूद था, जिस पर रक्त जमा था, दूसरी उपहति सूजन युक्त निलगू निशान दाहिने हाथ पर मौजूद था तथा तीसरी व चौथी उपहतियॉ बाये पैर व दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में दर्द की शिकायत थी। आहत विनोद गुप्ता के सी०टी० स्कैन रिपोर्ट में उसके सिर में आयी चोट के कारण टेम्पोरल व पेराइटल क्षेत्र में हैमरेजिक कंटयूजन

व जमा हुआ रक्त मौजूद होना पाया गया। आहत लक्ष्मी के शरीर पर कुल 03 उपहतियॉ पायी गयी, जिनमे से पहली उपहति सिला हुआ घाव सिर के दाहिने पेराइटल भाग पर दाहिने आंख से 10 सेन्टीमीटर उपर मौजूद था तथा तीसरी उपहति बांये पैर में दर्द की शिकायत थी। आहत के सी०टी० स्कैन रिपोर्ट में अस्थि विण्डो में सिर के दाहिने तरफ टेम्प्रो आक्सीपिटल क्षेत्र में चिप फ्रैक्चर था तथा सिर में आयी चोट के कारण जमा हुआ रक्त भी मौजूद था। आहत लक्ष्मी के एक्स–रे रिपोर्ट में कोहनी के हडडी में अस्थि विसंधान होना पाया गया। आहत सरिता के शरीर पर तीन चोटें, जिनमे से पहली सिर में दर्द की शिकायत थी तथा सिर में चक्कर आने जैसा था, दूसरी खरांश, जिसका आकार 1 X 0.2 सेन्टीमीटर था, दाहिने बांह पर मौजूद था तथा तीसरी दाहिने जांघ में दर्द की शिकायत थी। आहत इन्द्रकेश के शरीर पर तीन दर्द की शिकायत तथा पुष्पा देवी के शरीर पर उसके दाहिने कन्धे व थाई पर दर्द की शिकायत होना चिकित्सकीय परीक्षण आख्या में चिकित्सक द्वारा उल्लिखित किया गया है।

विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान संकलित किये गये साक्ष्य के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण व सह–अभियुक्तो के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा– 115 (2),110,333,117 (2) के अन्तर्गत आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए दिनांक 20.02.2025 को संज्ञान लिया गया है। स्वीकृत रूप से आवेदकगण/अभियुक्तगण व सह–अभियुक्तो के विरूद्ध लिये गये संज्ञान आदेश दिनांकित 20.02.2025 को आवेदकगण/ अभियुक्तगण व सह–अभियुक्तो द्वारा कहीं चुनौती नहीं दी गयी है।

प्रस्तुत अभियोग में आवेदकगण/अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामित हैं तथा उनके विरूद्ध कथित घटना की तिथि को प्रथम सूचनाकर्ता विनोद, लक्ष्मी, सरिता, इन्द्रकेश व पुष्पा देवी को घर में घुसकर लोहे की राड, कुदाल, लाठी–डण्डे व फरसे से मारपीटकर उपहतियॉ पहुॅचाने का अभ्यारोपण अन्तर्ग्रस्त है। प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर के आधार पर थाना- पिपराईच में अपराध संख्या- 1009/2024 पर भारतीय न्याय संहिता की धारा– 115 (2),110,333,117 (2) के अपराध के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की गयी और सम्यक् विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा– 115 (2),110,333,117 (2) के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप-पत्र विचारणार्थ न्यायालय में प्रेषित किया गया। इस स्तर पर घटना के स्वरूप, अभियुक्तगण की सक्रिय सहभागिता, चोटों की प्रकृति आदि अन्य उठाये गये बिन्दुओं पर निश्चायक विनिश्चयन किये जाने से अभियोग में मिनी ट्रायल का स्वरूप ग्रहण हो जायेगा। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक तर्क में विरोधाभास एवं अन्य तथ्य के बावत जो उन्मोचन का आधार बताया गया है, वह आधार/तर्क विचारण के दौरान निर्णय के स्तर पर देखा जाना है। आरोप के स्तर पर मात्र प्रथम दृष्टया मामला ही देखा जाना होता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर प्रथम दृष्टया मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है।

यहॉ यह भी उल्लिखित किया जाना समीचीन है कि इस प्रक्रम पर मामले में साक्ष्य की विवेचना गुण–दोष के आधार पर की जानी अपेक्षित नहीं है। अपितु अभियोजन द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह समाधान किया जाना है कि मामले में अग्रिम कार्यवाही के लिए आधार पर्याप्त है या नहीं, जैसा कि उपरोक्त उद्धरित अभियोजन कथानक एवम् केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य से यह परिलक्षित है कि आवेदकगण/ अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा– 115 (2),110, 333, 117 (2) का आरोप लगाये जाने हेतु प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण को कथित अपराध से इस स्तर पर उन्मोचित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है।

आरोप विरचित किये जाने के संदर्भ में **माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अपने न्यायिक दृष्टान्त सुप्रीन्टेंडेन्ट एण्ड रिमेंम्ब्रेंसर ऑफ लीगल अफेयर्स, वेस्ट बंगाल विरूद्ध अनिल कुमार भुन्जा ए०आई०आर० 1980 सु० को० 52 (एफ०बी)** में यह अवधारित किया है कि–

"At this stage, as was pointed out by this Court in State of Bihar v. Ramesh Singh' AIR 1977 SC 2018, the truth veracity and effect of the evidence which the prosecutor proposes to adduce are not to be meticulously judged. The standard of test, proof and judgment which is to be applied finally before finding the accused guilty or otherwise is not exactly to be applied at the stage of Section 227 or 228 of the Code of Criminal Procedure, 1973. At this stage, even a very strong suspicion founded upon materials before the Magistrate, which leads him to form a presumptive opinion as to the existence of the factual ingredients constituting the offense alleged may justify the framing of charge against the accused in respect of the commission of that offence."

उक्त न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर साक्ष्य की सत्यता तथा प्रकरण की सूक्ष्मता से विवेचना करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रम पर यदि अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के सन्दर्भ में सन्देह भी उत्पन्न होता है तब भी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप की विरचना की जा सकती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त स्टेट ऑफ एम०पी० विरूद्ध एस०बी० जौहरी (ए०आई०आर० 2000 सु० को० 665) में यह अवधारित किया गया है कि– "It is settled law that at the stage of framing the charge, the court has to prima facie consider whether there is sufficient ground for proceeding against the accused. The Court is not required to appreciate the evidence and arrive at the conclusion that the materials produced are sufficient or not for convicting the accused. If the Court is satisfied that a prima facie case is made out for proceeding further then a charge has to be framed."

इसी प्रकार **दाण्डिक अपील संख्या–1578/2008 संघी ब्रदर्श (इंदौर) प्रा0लि0 बनाम संजय चौधरी व अन्य निर्णीत दिनांकित 03.10.2008** के अपने सम्मानित निर्णय के पैरा–11 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उल्लिखित किया है कि– "The present case is not one where the High Court ought to have interfered with the order of framing the charge. As rightly submitted by learned counsel for the appellant, even if there is a strong suspicion about the commission of offence

and the involvement of the accused, it is sufficient for the court to frame a charge. At that stage, there is no necessity of formulating the opinion about the prospect of conviction. That being so, the impugned order of the High Court cannot be sustained and is set aside. The appeal is allowed."

विधि व्यवस्था **महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा 1996 क्रिमिनल लॉ जनरल 2448 (सुप्रीम कोर्ट)** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि यह उपधारणा करने के लिये आधार है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है, तो न्यायालय न्यायोचित रूप से तो यह कह सकती है कि प्रथम दृष्टया उसके विरूद्ध मामला बनता है अर्थात यदि अभिलेख पर सामग्री के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपराध कारित किये जाने की सम्भावना बनती है, तो आरोप तैयार करने का मामला बनता है। दूसरे शब्दों में यदि न्यायालय यह समझती है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया होगा, तो वह आरोप तैयार कर सकता है, किन्तु दोषसिद्ध करने के लिये यह निष्कर्ष आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया। यह स्पष्ट है कि आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सम्भाव्यतापरक मूल्यांकन होना चाहिए। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाई गयी सामग्री को उस प्रक्रम पर सत्य मानकर स्वीकार करना चाहिए। विधि का यह सुस्थापित एवं मान्य सिद्धान्त है कि आरोप गम्भीर सन्देह के आधार पर भी विरचित किया जा सकता है। विधि व्यवस्था **हीरा लाल तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य 2017 (2) जू0क्रि0के0 1522** के अपने सम्मानित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कहा है कि आरोप बनाते समय न्यायालय को यह देखना आवश्यक नहीं है कि क्या उपलब्ध साक्ष्य दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त है। इस स्तर पर यही देखा जाना पर्याप्त है, कि जिससे यह अन्देशा निकले कि क्या अभियुक्त ने तथाकथित अपराध कारित किया है या नहीं? इसी प्रकार विधि व्यवस्था **राजपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2017 (2) जे0क्रि0के0 1797** के अपने सम्मानित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कहा है कि आरोप निर्मित करते समय केवल अभिलेख पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य को अंकलित किया जाना चाहिए भले ही प्रबल सन्देह दृष्टिगत होता है फिर भी इस स्तर पर आरोप मुक्ति के लिये अपर्याप्त है।

पलविन्दर सिंह प्रति बलविन्दर सिंह 2009 (65) ए.सी.सी. 399 (सुप्रीम कोर्ट) तथा स्टेट एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली प्रति शिव चरन बंसल (2020) 2 एस.सी.सी 290 के मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

Charge can be framed also on the basis of strong suspicion. Marshalling and Appreciation of evidence is not in the domain of the court at that point of time.

अतएव सम्पूर्ण तथ्यों एवम् परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण को भारतीय न्याय संहिता की धारा– 115 (2),110,333,117 (2) के अपराध से उन्मोचित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

निष्कर्षतः आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6 ख निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6 ख निरस्त किया जाता है।

अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा– 115 (2),110,333,117 (2) के अपराध के अन्तर्गत आरोप की विरचना हेतु पत्रावली आगामी दिनांक को प्रस्तुत हो। उक्त तिथि को अभियुक्तगण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

दिनांक/गोरखपुर
17 दिसम्बर, 2025

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2025.12.17 16:49:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court